<u>न्यायालय :- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अशोकनगर के न्यायालय के अतिरिक्त</u> न्यायाधीश, श्रंखला न्यायालय चंदेरी, अशोकनगर म.प्र.

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 94/17

<u>संस्थित दिनांक</u> 10.10.17

नीलेश उर्फ भगवान सिंह पुत्र भागचंद आयु 27 साल, जाति रैकवार, धंधा मजदूरी, निासी ग्राम फतेहावाद थाना चंदेरी जिला अशोकनगर म.प्र.

-----अभियुक्त

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चंदेरी अशोकनगर

	O '		
अ	भिय	7	1

------अभियुक्त द्वारा :- श्री पठान अधिवक्ता ।

म.प्र; राज्य द्वारा :- कोई नहीं।

-:: निर्णय ::-

(आज दिनांक ----- को पारित किया)

- 1. अपीलार्थी नीलेश उर्फ भगवना सिंह की ओर से वर्तमान अपील अंतर्गत धारा 374 दं.प्र.सं. श्री जफर इकवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी द्वारा आपराधिक प्रक्रमरण क्रमांक 222/16 में पारित निर्णय एवं दंडाज्ञा दिनांक 04.10.17 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसके अधीन अभियुक्त नीलेश को धारा 294 भादिव के सिद्धदेष आरोप हेतु 200/- रूपये के अर्थदंड से और व्यतिक्रम की दशा में तीन दिवस के साधारण कारावास से तथा धारा 323 भादिव. के सिद्धदोष आरोप हेतु 15 दिवस के साधारण कारावास एवं 300/- के अर्थदंड से एवं अर्थदंड अदायगी के व्यतिक्रम हेतु तीन दिवस के साधारण कारावास से दंडित किया गया है।
- 2. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार रहे हैं कि अभियोगी नाथूलाल ने दिनांक 29.06.16 के 10:30 बजे से लेकर 10:40 के मध्य पुराने थाने के पीछे सदर बाजार चंदेरी में कारित हुई घटना के संबंध में अभियुक्त नीलेश

को भी अन्य अभियुक्त सहित नामित कर पुलिस थाना चंदेरी अशोकनगर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 2 अंकित कराई कि, जब दिनांक 29.06.16 को साढे दस बजे के लगभग अभियोगी स्वयं को अस्पताल दिखाने के लिए आ रहा था और जैसे ही वह पुराने थाने के पीछे सदर बाजार में आया तब सामने से नीलाश व श्यामलाल रैकवार निवासी फतेहावाद उससे मिले, उसे रास्ते में रोक लिया, और उससे कहा कि उसने उनकी जमींन क्यों बेच दी है, तब उसने इस जमीन को अपने नाम होने से बेच देना कहा तो इस पर दोनों ही उसे मां बहन की बुरी बुरी गालियां देने लगे और जब अभियोगी ने उन्हें गाली देने से मना किया तो नीलेश ने अभियोगी की नाक में नाक में मुक्का मारने से खून बहने लगा। मौके पर मौजूद घुरका रैकवार और काशीराम रैकवार ने बीच बचाव किया फिर दोनों ही उसे यह धमकी देते हुए चले गये कि उसने रिपोर्ट की तो उसे जान से मार देंगे। इसके पश्चात् अभियोगी अस्पताल आया, उसकी नांक से खून बह रहा था वह दबाई लगवाकर रिपोर्ट करने के लिए आया।

- 3. रिपोर्ट अंकित किये जाने के पश्चात् अभियोगी का चिकित्सा परीक्षण कराये जाने पर चिकित्सक डॉक्टर वर्षा अ.सा. 4 द्वारा चिकित्सा प्रतिवेदन प्रदर्श पी 5 अंकित किया गया। पश्चात् अनुसंधानकर्ता सहायक पुलिस उपनिरीक्षक रामगोपाल वर्मा अ.सा. 5 ने अनुसंधान के प्रक्रम पर अभियोगी की निशानदेही पर नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 अंकित किया। अभियोगी तथा अन्य साक्षीगण के कथन लेखबद्ध करने के उपरांत अभियुक्तगण की गिरफ्तारी संपन्न कर अभियुक्त नीलेश को गिरफतार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी 6 अभिलिखित कियाऔर उसे जमानत मुचलके पर उन्मुक्त किया और अनुसंधान पूर्ण होने पर अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया।
- 4. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 323/34, 341/34, 506 भाग-दो भादवि के आरोप विरचित किये हैं जिसे अस्वीकार कर अभियुक्त ने विचारण का दावा किया ओर अभियुक्तगण परीक्षण के प्रक्रम पर अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होकर झूठा फसाया जाना अभिकथित करते हुए प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य नहीं देना अभिकथित किया था।
- 5. अपीलार्थी/अभियुक्त ने वर्तमान अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि साक्षीगण श्रीराम घुर्का उर्फ जवाहर ने अभियोजन प्रकरण का समर्थन नहीं किया है। स्वयं अभियोगी

नाथूलाल के कथन में अन्य साक्षीगण के कथन से गंभीर विरोधाभास है। स्वतंत्र साक्षीगण ने अभियोगी के कथन का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर विद्यमान साक्ष्य से अभियोजन प्रकरण प्रमाणित नहीं है और घटना होने अथवा नहीं होने के संबंध में शंका उत्पन्न होती है। साक्षी डॉक्टर वर्षा के कथन से भी घटना का समर्थन नहीं होता है। डॉक्टर वर्षा एवं प्रधान आरक्षक रामगोपाल के कथनों के आधार पर दंडादेश पारित कर विचारण न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना की है। अभियोगी का अभियुक्त से जमींन संबंधी विवाद है, जिससे अभियोगी द्वारा असत्य रिपोर्ट किये जाने की पूर्ण संभावन है। विद्वान विचारण न्यायालय ने महत्वपूर्ण तथ्यों की अवहेलना कर अपीलीय निर्णय पारित किया है। तथा विद्वान विचारण न्यायालय पारित निर्णय एवं दंडाज्ञा दिनांक 04.10.17 को अपास्त कर अभियुक्त को धारा 294, 323 भादवि के आरोप से दोषमुक्त करने की प्रार्थना न्यायालय से की गयी है।

- इस प्रक्रम पर यह अवधारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि
 - 1. क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं दंडादेश दिनांक 04.10.17 तथ्यों की अनदेखी कर पारित किया गया निर्णय होकर विधि के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है ? ''यदि हां तो''
 - 2. सहायता एवं व्यय ।

साक्ष्य मूल्यांकन सह निष्कर्ष :-

अवधारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2 :-

- 7. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से काशीराम अ.सा. 1 अभियोगी नाथूराम अ.सा.2, घुर्का उर्फ जवाहर अ.सा.3, डॉक्टर वर्षा अ.सा.4 एवं अनुसंधानकर्ता पुलिस उपनिरीक्षण रामगोपाल अ.सा.5 की साक्ष्य अंकित कराई गयी है।
- 8. अपीलार्थी की ओर से अपना अवलंबन अपील ज्ञापन में अभिवाचित तथ्यों को अंतिम तर्क हेतु व्यक्त कर यह तर्क भी प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त को कठोर दंडाज्ञा प्रदत्त की गयी है। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294 का आरोप प्रमाणन नहीं होता है। अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजक के उपस्थित नहीं होने से कोई अंतिम तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है।

- 9. अभियोगी नाथूलाल अ.सा.2 का मुख्य परीक्षण दर्शित करता है कि आरोपीगण मारपीट के समय अभियोगी को मां बहन की बुरी बुरी गालियां दे रहे थे। अर्थात अभियोगी स्वयं ही अपने मुख्य परीक्षण में गाली के उन विशिष्ठ शब्दों को अभिलेख पर प्रकट नहीं करता, जिसे सभ्य समाज में अश्लील होना धारित किया जाता हो। साक्षीगण काशीराम अ.सा.1 एवं घुर्का अ.सा.3 के अभिकथन से भी अभियुक्तगण द्वारा अभियोगी को गाली गलौंच दिये जाने का तथ्य प्रकट नहीं होता।
- 10. साक्षीगण काशीराम अ.सा.1 एवं घुर्का अ.सा.3 सूचक प्रश्न के उत्तर में भी इस तथ्य को प्रकट नहीं करते कि अभियुक्त ने उनके सामने अभियोगी नाथूलाल को मां बहन की अश्लील गाली दी थीं। यदि स्वयं अभियोगी नाथूलाल के कथन की सत्यता को उसके एकल कथन के रूप में अभिलेखगत साक्ष्य से जांचा जाये तो प्रकट होता है कि अभियोगी ने प्रश्नगत घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 2 प्रश्नगत घटना के पश्चात् अंकित कराते हुए उसे अभियुक्तगण द्वारा (जिसमें से एक अभियुक्त अपीलार्थी भी रहा है) मां बहन की बुरी-बुरी गालियां देने लगना अंकित कराया है। अर्थात प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 2 में भी वह विशिष्ठ शब्द जिन्हें कि सभ्य समाज में अश्लील धारित किया जाता है, अभियोगी द्वारा अंकित नहीं कराये गये हैं।
- 11. धारा 294 भादिव के अंतर्गत दंडनीय अपराध के पूर्ण होने हेतु निम्न आवश्यक तत्वों की विद्यमानता होना चाहिए :- 1. लोक स्थान में या उसके समीप 2. कोई गीत शब्द या पवाड़ा , जो अश्लील हो, उच्चारित किया जाना चाहिए।3- इसे अन्य व्यक्ति द्वारा श्रवण किया जाना चाहिए। 4. श्रवण करने वाले व्यक्ति को वह शब्द सुनकर क्षोभ कारित होना चाहिए।
- 12. स्वयं अभियोगी नाथूलाल के कथन व प्रदर्श पी 2 के अवलोकन से उक्त तथ्यों का आकर्षित होना ही प्रकट नहीं है। यदि यह मान लिया जाये कि अभियोगी ने, जो कि अभिलेख से 75 वर्ष की आयु का व्यक्ति होकर किसी शासकीय सेवा से रिटायर्ड व्यक्ति है, ने अपनी आयु तथा अपने वैयक्तिक गरिमा के कारण गाली के अश्लील विशिष्ठ शब्द प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 2 तथा अपने न्यायालयीन कथन में अभिकथित नहीं किये हैं, तब ऐसी स्थिति में यह भी नहीं कहा जा सकता कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाते समय अभियोगी ने अपनी आयु अथवा अपने पद की

गरिमा के वशीभूत अभियुक्त द्वारा उच्चारित गाली के शब्द प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 2 में तथा अपने न्यायालयीन कथन में अंकित नहीं कराये थे।

- 13. ऐसी स्थित में अभियुक्त को धारा 294 भादिव के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप हेतु सिद्धदोष किये जाने हेतु विद्वान विचारण न्यायालय ने तथ्य एवं विधि की त्रुटि कारित की है और उक्त आरोप के संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रदत्त निष्कर्ष एवं उसके अधीन अधिरोपित दंडाज्ञा अपास्त किये जाने योग्य होने से, उसे इस सीमा तक अपास्त कर अभियुक्त नीलेश को धारा 294 भादिव के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 14. जहां तक अभियुक्त को धारा 323/34 भादवि के अंतर्गत दंडनीय अपराध धारा 323 भादवि में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा सिद्धदोष घोषित किये जाने के तथ्य का प्रश्न है, अभियोगी नाथूलाल अ.सा.2 अपने कथन में यह तथ्य प्रकट करता है कि अभियूक्त नीलेश ने उसे नांक में मुक्का मारा था जिससे उसे नांक में खून निकल आया था। स्वयं साक्षी काशीराम अ.सा.1 यद्यपि मुख्य परीक्षण तथा सूचक प्रश्न के उत्तर में अभियोगी के कथन का समर्थन अभिकथित नहीं करता, किन्तु स्वतंत्र साक्षी घुर्का उर्फ जवाहर अ.सा.3 मुख्य परीक्षण में यह कथित करता है कि उसे नाथूलाल ने बताया था कि उसे नीलेश और श्यामलाल ने मारा है। इस साक्षी के कथनानुसार उसने नाथूलाल को घटना स्थल से भागते हुए देखा था, उस समय उसने अभियुक्त को नहीं देखा था। घटना के पश्चात् नाथूलाल उसके घर आये थे और घर आकर अभियुक्तगण द्वारा मारने वाली बात बतायी थी।
- 15. यह साक्षी स्वयं अभियोगी नाथूलाल द्वारा प्रश्नगत घटना के पश्चात् उसे घटना के तथ्यों के बारे में संसूचित किये जाने का अभिकथन प्रकट कर अभियोगी द्वारा घटना के पश्चात् दिशत आचरण हेतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 8 के उपबंध के अधीन स्वयं अभियोगी द्वारा इसे संसूचना प्रदत्त किये जाने के कथन द्वारा स्वयं को इसी अधिनियम की धारा 65 के अधीन घटना के प्रत्यक्ष दर्शी साक्षी की कोटि में समाहित करता है, परन्तु यह साक्षी सूचक प्रश्न के उत्तर अपने उक्त अभिकथन की सत्यता को इस अभिकथन द्वारा समाप्त करता है कि उसने नाथूलाल की नांक में कोई चोट नहीं देखी। तब ऐसी स्थिति में अभियोजन प्रकरण अभियोगी नाथूलाल अ.सा.2 के कथन उसका मेडीकल परीक्षणकर्ता डॉ. वर्षा अ.स.4 के कथन तथा

नाथूलाल द्वारा अंकित कराई गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 2 की अंतर्वस्तु पर अवलंबित हो जाता है।

- 16. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 134 के प्रावधानांतर्गत साक्ष्य की गुणवत्ता न कि साक्षियों की संख्या, महत्वपूर्ण होती है। प्रश्नगत घटना कारित होने के पश्चात् अभियक्तगण के नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 2 अंकित कराते हुए अभियुक्त नीलेश द्वारा उसे नाक पर मुक्का मारना जिससे चोट लगकर खून बहने लगना, अभियोगी ने अंकित कराया है, इसके तत्काल पश्चात् उसी दिनांक को उसका मेडीकल परीक्षण कराने पर चिकित्सा प्रतिवेदन प्रदर्श पी 5 अनुसार और डॉ. वर्षा अ.सा.4 के अभिकथनानुसार अभियोगी नाथूलाल के नाक के मुहाने पर घाव होकर परीक्षण के समय उसके नथूनों से खून बह रहा था। अभियोगी नाथूलाल के प्रतिपरीक्षण से ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं होता कि वह अपनी ही गलती के कारण नाक के बल गिरा, जिससे उसे नांक में चोट आयी थी, अपितु अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 4 की छटी पंक्ति में अभियुक्त नीलेश दूरा उसे मुक्का मारना अभिकथित कर आगे मुक्का मारने से खून निकलने पर स्वयं का भाग जाना कथित करता है।
- 17. तब ऐसी स्थित में अभियोगी की नांक पर मौजूद उपहित अभियुक्त नीलेश के ही आपराधिक कृत्य का परिणाम होकर अभियुक्त नीलेश द्वारा ही अभियोगी नाथूलाल को स्वेच्छया उपहित कारित किये जाने के का तथ्य समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित होने से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त नीलेश को धारा 323/34 भादिव में अंतर्विलत अपराध धारा 323 भादिव हेतु सिद्धदोष घोषित किये जाने में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है। अत: इस सीमा तक धारा 323 भादिव के अधीन दोषसिद्धि हेतु अभियुक्त के विरुद्ध दिये गये विद्वान विचारण न्यायालय के निष्कर्ष की पृष्टि की जाती है।
- 18. जहां तक विचारण न्यायलय द्वारा अभियुक्त को परिवीक्षा पर उन्मुक्त नहीं किये जाने के तथ्य का प्रश्न है इस संबंध में अभियोगी की आयु, तथा अपराध की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ नहीं दिये जाने में कोई विधिक त्रुटि कारित की जाना प्रकट नहीं होती।
- 19. जहां तक अभियुक्त को धारा 323 भादिव के सिद्धदोष अपराध हेतु 15 दिवस के साधारण कारावास एवं 300/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किये जाने के तथ्य के कठोर होने

का प्रश्न है, अपराध दिनांक को अभियुक्त युवावस्था का व्यक्ति रहा है उसके विरूद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि प्रमाणित नहीं है। अभियुक्त द्वारा अभियोगी को सिर्फ एक उपहित कारित की गयी है जिससे अभियोगी का लंबे समय तक व्याधिग्रस्त होना भी अभिलेख से प्रकट नहीं हो रहा है तथा अभियोगी और अभियुक्त आपस में रिस्तेदार होना भी अभिलेख से प्रकट हो रहा है, वहां अभियुक्त को प्रदत्त कारावास का दंड स्वमेव कठोर प्रकट हो रहा है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त नीलेश को धारा 323 भादि के प्रमाणित अपराध हेतु न्यायालय उठने के कारावास तथा 1000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। तद्नुसार अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

- 20. अभियुक्त द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष जमा कराई गयी अर्थदंड की राशि 500/- रूपये (धारा 323 भादवि के आरोप हेतु 300/- रूपये तथा धारा 294 भादवि के आरोप हेतु 200/- रूपये) उसके वर्तमान अर्थदंड की राशि में समायोजित की जाये।
- 21. अभियुक्त द्वारा अर्थदंड की राशि जमा किये जाने में व्यतिक्रम होने पर उसे **15** दिवस का साधारण कारावास भुगताया जाये।
- 22. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 23. प्रकरण में निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल नहीं है।
- 24. उक्तानुसार अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर, निराकृत की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया हस्ताक्षरित कर, घोषित किया गया।

(सैफी दाऊदी) प्र.अ. सत्र न्यायाधीश अशोकनगर के न्यायालय के अति. न्यायाधीश, अशोकनगर (म.प्र.) दिनांक— 17.01.18

(सैफी दाऊदी) प्र.अ. सत्र न्यायाधीश अशोकनगर के न्यायालय के अति. न्यायाधीश अशोकनगर (म.प्र.)